क्रम-संख्या—23

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 2 फरवरी, 1998

माघ 13, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 236/सत्रह–वि–1-1 (क)-35-1997

लखनऊ, 2 फरवरी, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 31 जनवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग अधिनियम, 1995 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 19 सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग अधिनियम, 1995 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव का पद धारण करता हो, या राज्य सरकार के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में नियोजित विभागाध्यक्ष हो, खण्ड (क) के अधीन तब तक नहीं बुलाया जायेगा या उससे व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो और यदि ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय यथास्थिति, उपसचिव के स्तर से अन्यून किसी व्यक्ति को या उसके समकक्ष पदधारण करने वाले किसी व्यक्ति को समनों के अनुपालन में आयोग के समक्ष उपस्थित करवाता है तो वह समनों का अनुपालन करता हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह और कि खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये समनों में स्पष्ट रूप से प्रयोजन इंगित किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति को समन किया गया है और; जब किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए समन किये बिना, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है तो यदि वह उसे प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय, ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करवा देता है तो यह समझा जायगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है।"

नई धारा 20-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

निदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति

"20-क राज्य सरकार आयोग को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे जायं और आयोग ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,

प्रमुख सचिव।

No. 236 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 35-1997

Dated Lucknow, February 2, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusuchit Jati Aur Anusuchit Janjati Aayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assentedt o by the Governor on January 31, 1998.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (AMENDMENT) ACT, 1998

(U.P. Act No. 1 of 1998)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes a Scheduled Tribes Act, 1995.

It is hereby enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of In as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 19, 1

Amendment of section 12 U. P. Act no. 16 of 1995

2. In section 12 of the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 hereinafter referred to as the principal Act, the following provisos shall be *inserted* at the end, namely :—

"Provided that no person who is holding the office of the Chief Secretary, Principal Secretary or Secretary to the State Government or is Head of the Department employed in connection with the affairs of the State Government shall be summoned or required to attend in person under clause (*a*) unless prior approval of the State Government has been obtained and such person shall be deemed to have complied with the summons if he causes a person not below the rank of Deputy Secretary or, as the case may be, a person holding a post equivalent thereto to attend the Commission in compliance with the summons instead of attending in person ;

Provided further that the summons issued under clause (*a*) shall clearly indicate the purpose for which the person concerned has been summoned and when any person is summoned to produce a document without being summoned to give evidence, he shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same."

Insertion of new section 20-A

3. *After* section 20 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :—

"20-A. The State Government may issue such directions to the Commission as may be considered necessary or proper for carrying out the purposes of the Act and the Commission shall be bound to comply with such directions."

Power of the State Government to issue directions

U.P. Ordinance no. 11 of 1997

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principle Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी० ए० सं० यू० पी०—ए० पी० 223 सा० विधा०—(2317)—1998—850 (मैक०)।